तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह... की ...
27/5/24	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] पेश कर इसमें लिखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। जिसपर अप्रार्थीगण दिनांक 5/7/2018 को उपस्थित हुये। 1 एवं 5, 6 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई एवं अप्रार्थी सं० 2 व 3 आये लेकिन जवाब पेश नहीं करना चाहा उनका जवाब बन्द किया गया एवं अप्रार्थी सं० 4 को जवाब हेतु कई समुचित मौके प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जिसका जवाब दिनांक 29/01/24 को बन्द किया गया। पत्रावली पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने एवं प्रार्थना-पत्र गलत तथ्यों झूठे गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुये प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया वकुलाय उभयपक्षगण की बहस सुनी बहस [illegible] किया गया गैरमायलान [illegible] प्रार्थना-पत्र में [illegible] लिखित [illegible] पेश [illegible] कोई उजरदारी [illegible] कि गई विवादित आराजी जमाबन्दी में मायल व गैरमायल की शामलात खातेदारी दर्ज होने से विवादित आराजी का मायल व गैरमायलान की शामलात खातेदारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:11:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की आदि का अनुमान किया जाता है यदि गैरसायलान ने शामलात खातेदारी की भूमि में सायल के कब्जे बाबत किसी तरह की बाधा व्यवधान किया तो अपूर्ण हानि असुविधा या क्षति होने वाली क्षति सायल को होना संभव है। गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकसान क्षति या असुविधा होती हो ऐसी तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं न पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में विद्यमान है अतः सायल का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 [illegible] रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः सायल का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार कर गैरसायलान को ता निस्तारण मूलवाद यथास्थिति बनाये रखने के पाबंद किया जाता है कि पत्रावली की [illegible] की जाती रहे आदेश दिनांक 01/06/2018 को मूल वाद के शामिल तक अनुपालन किया जाता है। पत्रावली शामिल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर मूल वाद के साथ शामिल की जावे। हुक्म [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:11:02 IST
Reason: SelfAttested